

17.5.22.

पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्ता एवं
प्राची अनुपस्थित/ हस्तगत पत्रावली का मूल
वाद प्रकरण संख्या 158/2020 वाद अदम हाजिरी
अदम पैरवी में खारिज होने से अब इस प्रकरण
में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः हस्तगत
प्रकरण में भी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। निर्णय श्री इंद्रजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
है।



सु
(सलोनी खेमरा)
DAS

उप खण्ड अधिकारी
गिरवा, जिला-उदयपुर (राज.)